RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-03
Issue-08
August-2018

ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com [UGC Listed Journal]

बिहार के जनजातीय समाज में महिलाओं की स्थिति

डॉ0 ममता कुमारी

इतिहास विभाग, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा (बिहार)`

बिहार के जनजातीय समाज में पुरूषों एवं स्त्रियों के बीच बहुत पार्थक्य नहीं रहा है। लिंग भेद का कोई विशेष महत्व नहीं है। पुत्र एवं पुत्री के जन्म को समान रूप से विशेष महत्त्व प्रदान किया गया है। पुत्र के जन्म लेने पर विशेष रूप से आनंदित होने का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। उसी तरह पुत्री के जन्म को किसी दुःख का कारण नहीं माना जाता। पुत्र एवं पुत्री दोनों के जन्म का विशेष रूप से स्वागत किया जाता है। उनका विश्वास था कि यदि पुत्र पितरों को पिण्ड देगा तो पुत्री भी दहेज लायेगी। अतः पुत्र एवं पुत्रियों का लालन–पालन बिना किसी भेदभाव के किया जाता।

बिहार के जनजातीय समाज में महिलाओं की स्थिति, उसकी दशा, उनका रहन–सहन एवं उनकी प्रथाएँ करीब–करीब एक–दूसरे से काफी मिलती हैं। उनकी वेशभूषा लगभग एक जैसी ही है। प्रायः सभी जनजातीय महिलाओं का मुख्य परिधान साड़ी है। सभ्यता के शुरूआती दौड़ में महिलाएँ कपड़े के स्थान पर पेड़ की छालों एवं पत्तों को आवरण के रूप में इस्तेमाल करती थीं। बेदिया समाज में महिलाओं का पारंपरिक परिधान 'ठेठी' और 'पाचना' था। ये दोनों ही साड़ी हैं। दोनों में अंतर यह है कि ठेठी में आँचल नहीं होता, जबकि पाचन में आँचल होता है। दोनों सफेद रंग के होते हैं और इनमें लाल पाड़ होता है। इन कपड़ों को ताँती या जुलाहा बनाते हैं। हालांकि अब वेदिया समाज की महिलाओं का पहनावा बदल गया है। अब वे साड़ी के साथ पेटीकोट और ब्लाउज पहनती हैं। ब्लाउज को 'झूला' कहते हैं। युवतियाँ जूड़े में फीता बाँधती हैं। बिंदिया का भी प्रयोग होता है। ग्रामीण महिलाएँ ब्लाउज का प्रयोग नहीं ही करती है। साड़ी के एक भाग से ही शरीर के ऊपरी हिस्से को ढक लेती हैं। कुछ जनजातीय समाज में महिलाएँ गरीबी के कारण बहुत कम वस्त्रों का प्रयोग करती हैं। जेसे पहाड़िया जनजाति में औरतों पहले ऊपरी भाग को खुला रखतीं थी किन्तु अब ढकती हैं। बैगा जनजाति की स्त्रियाँ 'लुंगरा', जो रंगीन कपड़ा होता है, पहनती हैं। दो मोटा सूती कपड़ा कंधे के चारों ओर लपेटी रहती हैं जिसे 'कपची' कहते हैं। खास कर जाड़े के दिनों में कपची का आम प्रयोग होता है।

जनजातीय समाज में गोदना गोदवाना स्त्रियों के लिए पवित्र माना जाता है। धर्म के रूप में स्वीकार करने वाली स्त्रियों के लिए यह एक सामाजिक प्रतिष्ठा का विषय होता है। स्त्रियाँ इसे अपना स्थायी गहना समझती हैं। उनका कहना है कि मरने के बाद शरीर के सभी आभूषणों को निकाल लिया जाता है लेकिन गोदना ही एक ऐसा आभूषण है जिसे कोई निकाल नहीं सकता और वह मृत्यु के बाद भी साथ रहता है।

जनजातीय समाज में लड़कियों को विवाह के पूर्व ज्यादा स्वतंत्रता प्राप्त होती है। बिरहोर समाज में कुंवारे लड़के और लड़कियों दोनों के लिए अलग–अलग दो छोटी झोपड़ियाँ बनी होती है। इसे 'गितिओड़ा' कहते हैं। ये झोपड़ियाँ एक–दूसरे से कुछ दूरियों पर बनी होती है। लड़कों के युवा गृह में केवल एक दरवाजा होता है जबकि लड़कियों वालों में दूसरा दरवाजा पीछे की ओर भी होता है। लड़कियाँ यहाँ दस वर्ष की आयु में प्रवेश पा जाती हैं और विवाह के पूर्व तक रात में यहीं सोती हैं। लड़कियों की झोपड़ी में गाँव की ही कोई विधवा अभिभावक के रूप में रात में रहती है। वह मुख्य दरवाजे के पास ही सोती है ताकि लड़कियों पर निगरानी रख सके और किसी बाहरी आदमी को घुसने से रोक सके।

संथाल समाज में बाल–विवाह की प्रथा नहीं है। जीजा साली विवाह, देवर भौजाई विवाह की मान्यता है। विधवा विवाह भी प्रचलित है। तालक की प्रथा भी है। तलाक होने पर वधू मूल्य लौटाना पड़ता है, यदि पहल पत्नी की ओर से हो तो तलाक का मुख्य कारण बांझपन, डायन होने का संदेह या एक साथ रहने की अनिच्छा आदि होते हैं।

इस प्रकार लगभग सभी जनजातियों में वधू मूल्य तय कर माता–पिता द्वारा तय किया गया विवाह ही अधिक प्रचलित है। अलग–अलग जनजातियों में वधू मूलय को अलग–अलग नामों से जाना जाता है। जैसे माल पहाड़िया में जो वधू मूल्य तय होता है उसे पोन या बंदी कहते है। मंडा समाज में वधू मूल्य को गोनांग कहा जाता है। किसान समाज में वधू मूल्य 'डाली' के नाम से जाना जाता है। कंवर जनजाति में वधू मूल्य 'सुकदाम' कहा जाता है। करमाली समाज में वधू मूल्य पोन या हथुआ के रूप में जाना जाता है। वधू मूल्य के रूप में नकद रूपये के साथ लड़की का वस्त्र, आभूषण, उसके परिवार के सदस्यों के लिए वस्त्र, कपड़ा तथा चावल, दाल, सब्जी या बकरा भी शामिल रहता है।

© RRIJM 2015, All Rights Reserved

जनजातिय समाज में प्रत्येक विवाहित स्त्री को गर्भधारण करना अनिवार्य समझा जाता है और वयस्क विवाहित जोड़ी को तीन साल के अन्तराल में गर्भवती नहीं होने पर चिंता होने लगती है और बच्चा न होने पर अपने घर के दूवभूत 'कुदरा–कुदरी' को दोषी ठहराने लगते हैं। वैसी जोड़ी को भूतों पर चढ़ाये गये प्रसाद को विशेष उद्देश्य के साथ खाने की सलाह दी जाती है।

बिहार के जनजातियों महिलाओं का प्रमुख पर्व तीज, चौथ रामनवमी और जितिया भी है जिसमें तीज एवं जितिया स्त्रियाँ करती हैं जबकि चौठ पर्व ज्यादात्तर लड़कियाँ करती हैं। इस दिन सुबह से उपवास रखकर लड़कियाँ मिट्टी का लंबा गणेश बनाती हैं और उसी की पूजा करती है।

अतः संक्षिप्त रूप से कह सकते हैं कि जनजातीय समाज की लड़कियों एवं महिलाओं की स्थिति गैर जनजातीय समाज की लड़कियों एवं महिलाओं की तुलना में ज्यादा अच्छी है। जैसे जनजातीय समाज में लड़कियों का शादी के पूर्व यौन संबंध स्थापित करना उतरा बुरा नहीं माना जाता है। जनजातीय समाज किसी लड़के और लड़की की दोस्ती तथा उनके बीच स्थापित संबंध को नजरअंदाज करते हैं लेकिन शादी के बाद किसी तरह के गैर–संबंध को अच्छा नहीं माना जाता है जबकि गैर जनजातीय समाज में शादी के पूर्व लड़का और लड़की के बीच यौन संबंध स्थापित करने को अपराध माना जाता है। ठीक उसी प्रकार जहाँ जनजातीय समाज में शादी करने के लिए लड़के वाले पक्ष की ओर से लड़की की खोज शुरू होती है और लड़की पसंद आने पर लड़के वाले को ही लड़की वाले को 'वधू–मूल्य' देकर शादी करना होता है जबकि गैर जनजातीय समाज में लड़की वाले ही शादी के लिए लड़के की तलाश शुरू करते हैं। उचित लड़का मिलने पर जब लड़की वाले उनके यहाँ जाते हैं तो उन्हें दहेज की मोटी रकम सुना दी जाती है। लड़की के माँ–बाप अपनी बेटी की खुशी के लिए दहेज देकर शादी करते हैं फिर भी कभी–कभी उनकी बेटी दहेज के लिए प्रताड़ित होती है। और जला कर या जहर देकर उसकी हत्या कर दी जाती है जबकि जनजातीय समाज में इस तरह की घटना देखने को नहीं मिलती है। इसी तरह जनजातीय समाज में विधवा विवाह, देवर–भाभी विवाह, जीजा–साली विवाह को मान्यता प्राप्त है जबकि गैर–जनजातीय समाज में इन सब विवाह को अच्छा नहीं माना जाता है। यद्यपि अंधविश्वास, रूढ़िवाद, डायन प्रथा आदि के प्रचलन जनजातीय और गैर–जनजातीय दोनों के बीच है परन्तु गैर–जनजातीय समाज में इसका प्रचलन बहुत जोरों से है। जनजातीय समाज के लिए डायन प्रथा एक अभिशाप के समान है। औरतों को डायन घोषित कर उसे मारा–पीटा जाता है। यहाँ तक कि उनकी हत्या भी कर दी जाती है। शिक्षा के क्षेत्र में जनजातीय समाज की महिला काफी पिछड़ी है। वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है। इसी कारण गैर जनजातीय समाज में वे शोषण की शिकार भी होती है। अतः आवश्यकता इस बात कि है जनजातीय समाज की महिलाओं का सशक्तिकरण किया जाए ताकि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों, और हर क्षेत्र में आगे आएँ।

संदर्भ ग्रंथ सूची :

1. अरविन्द नारायण दास : रिपब्लिक ऑफ बिहार, दिल्ली, 195, पृ. 26।
2. बिमला चरण शर्मा एवं विक्रम कीर्ति, झारखण्ड की जनजातियाँ, राँची, 2006।
3. कमलेश कुमार : भारत की जनजातीय महिलाएँ, 2007, पृ. 23
4. लीली पूर्वे : बिहार की आदिवासी नारियों का इतिहास (1850–1950), 1994।
5. रजनी टोप्पो : छोटानागपुर के जनजातीय महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक अध्ययन, राँची, 2000।
6. नर्मदेश्वर प्रसाद : लैण्ड एवं पिपलु ऑफ ट्राइबल बिहार, रांची, 1961।
7. पी. देहोन : रिलिजन एण्ड कस्टम्स ऑफ दि उराँव, पृ. 36।
8. राजीव लोचन शर्मा : जनजातीय जीवन और संस्कृति, कानपुर, 2000।
9. एल. पी. विद्यार्थी और बी.के. राय : ट्राईबल कल्चर ऑफ इण्डिया, दिल्ली, 1977।

© RRIJM 2015, All Rights Reserved